भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2541
उत्तर देने की तारीखः 17.03.2021

वृद्धावास

2541. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वृद्धावासों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन-सी योजनाएं चलाई जा रही हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क): जहां तक देश में कार्यरत वृद्धाश्रमों की संख्या का संबंध है, मंत्रालय में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) संबंधी स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धाश्रमों का संचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए अनुदान प्राप्त करने वाले गृहों/वृद्धाश्रमों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(ख): सरकार द्वारा देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित की जा रही स्कीमों का उल्लेख **अनुबंध-II** में किया गया है।

सरकार द्वारा देश में संचालित की जा रही स्कीमें:

क. <u>सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय –वरिष्ठ नागरिक प्रभाग</u>

1. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना (एनएपीएसआरसी)

इस योजना में देश के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं कुशलता के लिए भारत सरकार के विजन, मिशन और कार्य योजना से संबंधित एक दस्तावेज में निर्धारित की गई हैं। इसमें प्रत्येक चालू स्कीम, भावी योजनाएं, कार्य नीतियां और लक्ष्यों को एक साथ लाया गया है और उन्हें स्कीमों/कार्यक्रमों/जवाबदेही, वित्तीय और स्पष्ट निष्कर्षों के साथ रेखांकित किया गया है। इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों की सबसे जरूरी चार आवश्यकताओं अर्थात् वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानव संबंध/जीवन की गरिमा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसमें वृद्धजनों की सुरक्षा/संरक्षण और साधारण कुशलता भी शामिल है जिसकी शुरूआत समाज में जागरूकता सृजन एवं सुग्राहीकरण से होती है।

(ii) वरिष्ठ नागरिक कल्याण संबंधी कार्य योजना (एनएपीएसआरसी) एक अम्ब्रैला स्कीम है जो 1 अप्रैल, 2020 से लागू है। इसके अतंर्गत चार निम्नलिखित उप-योजनाएं हैं :

I. **एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी)** : वरिष्ठ नागरिकों विशेषत: निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता में, बुनियादी सुविधाओं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान करके तथा उत्पादक एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके, सुधार लाने के लिए गृहों का संचालन एवं अनुरक्षण करने हेतु पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

II. **राज्य वरिष्ठ नागरिक कार्य योजना (एसएपीएसआरसी)** : प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ अपनी योजनाओं को, स्थानीय विचार योग्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, को तैयार करता है। राज्य कार्य योजना में पांच वर्षों की दीर्घावधि कार्य नीति और वार्षिक योजना शामिल हो सकती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अपनी राज्य कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए धनराशियां जारी करता है।

2. **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)** : इस योजना का उद्देश्य 15,000/- रुपए से कम की मासिक आय वाले और किसी आयुजन्य दिव्यांगता/दुर्बलता से जूझने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे जीवन सहायक उपकरण प्रदान करना है जिनकी सहायता वे अपने शारीरिक कार्य लगभग सामान्य रूप से कर सकें और नजर कमजोर होना, कम सुनाई देना, दांत झड़ना और चलने-फिरने

अक्षम होना जैसी दिव्यांगता/दुर्बलता का सामना कर सकें। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत, पात्र वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को निम्नलिखित उपकरण प्रदान किए जाते हैं :

(क) जेनेरिक आइटम: (1) वॉकिंग स्टिक्स (2) एल्बो क्रच्च (3) वॉकर/क्रच्च (4) ट्राइपॉड्स/क्वॉडपॉड्स (5) हियरिंग एड्स (6) आर्टिफिशियल डेन्चर और (7) चशमें।

(ख) विशेष आइटम: (1) व्हीलचेयर, (2) कमोड के साथ व्हील चेयर, (3) चेयर/स्टूल कमोड के साथ, (4) सिलिकॉन फोम कुशन, (5) घुटने के ब्रेस, (6) स्पाइनल सपोर्ट (7) सर्वाइकल कॉलर, (8) लम्बोसैक्रल बेल्ट (एलएस), (9) वाकर/रोलेटर ब्रेक के साथ, (10) सीट के साथ वॉकिंग स्टिक, (11) फुट केयर किट: - (i) फ्लेक्सी जेल सॉक्स (ii) सॉक्स कुशन सैंडल , (iii) दबाव बिंदु राहत के साथ सिलिकॉन इनसोल (पूर्ण पैर/टखने) और (iv) प्रेशर प्वाइंट सहित इनसोल।

ख. <u>ग्रामीण विकास मंत्रालय</u>

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। एनएसएपी एक सामाजिक सुरक्षा/सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित, वृद्ध, विधवा, विकलांग व्यक्तियों और प्राथमिक कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों के लिए लागू होता है। **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस)** के तहत वृद्धावस्था पेंशन गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। 200/- रुपए प्रति माह की केंद्रीय सहायता 60-79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों और 500/- रुपए प्रति माह की केंद्रीय सहायता 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। योजनाओं के तहत लाभार्थियों की पहचान, मंजूरी और संवितरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है।

ग. <u>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</u>

राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (एनपीएचसीई) वर्ष 2010-11 में शुरू किया गया राज्योन्मुखी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को व्यापक और समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर जोर दिया जाता है।

I. <u>प्राथमिक और द्वितीयक जरा-चिकित्सा देखभाल सेवाएं :</u> यह कार्यक्रम 11वीं योजना अवधि में 10 जिलों में प्रारंभ किया गया। इस समय सभी 713 स्वास्थ्य जिलों को ओपीडी की

जरा-चिकित्सा संबंधी प्राथमिक एवं द्वितीयक सेवाएं, 10 बिस्तर वाले जरा-चिकित्सा वार्ड, फिजियोथेरेपी और लेबोरेटरी सेवाएं स्वीकृत की गई हैं।

II. <u>एनपीएचसीई की तृतीयक स्तरीय गतिविधियां :</u> एनपीएचसीई को वर्ष 2016-17 में **"राष्ट्रीय वरिष्ठ जन स्वास्थ्य योजना"** का नया नाम दिया गया था। आज तक 18 जिलों के चुनिंदा मेडिकल कालेजों में 19 क्षेत्रीय जरा-चिकित्सा केन्द्र (आरजीसी), विशेषज्ञ ओपीडी के रूप में एनपीएचसीई के अंतर्गत तृतीयक देखभाल सेवा, न्यूरोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, आप्थाल्मोलॉजी आदि जैसी विभिन्न स्पेशियलिटीज में बिस्तर विर्निधारित करने सहित आरजीसी में 30 बिस्तर वाले वार्ड, जनशक्ति विकास और अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

एम्स दिल्ली और और एमएमसी चैन्नई में दो राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र (एनसीए) निर्माणाधीन हैं। एमएमसी चैन्नई निर्माण के अंतिम चरण में है जबकि एम्स दिल्ली निर्माण के प्रारंभिक चरण में है। एमएससी चैन्नई वृद्ध कोविड मरीजों को अस्पताल में कोविड की सुविधाएं भी प्रदान कर रहा है।

घ. <u>वित्त मंत्रालय</u>

वित्त मंत्रालय ने **'प्रधान मंत्री वय वंदना योजना' (पीएमवीवीवाई) नामक** एक योजना की शुरूआत की है जिसमें अनिश्चित बाजार की स्थितियों के कारण बुढापे के दौरान 60 वर्ष और उससे अधिक के बुजुर्गों की ब्याज आय में भावी गिरावट से रक्षा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को सरकारी गारंटी के आधार पर अंशदान राशि से जुड़ी सुनिश्चित पेंशन/आय के प्रावधान के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बुढापे की आय सुरक्षा में सक्षम बनाती है।

(ड.) <u>रेल मंत्रालय</u>

भारतीय रेलवे ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए है, उनमे से कुछ इस प्रकार है (i) नियमों के अनुसार, न्यूनतम 60 वर्ष के पुरूष वरिष्ठ नागरिकों और न्यूनतम 58 वर्ष की वरिष्ठ महिला नागरिकों को मेल/एक्सप्रेस/राजधानी, शताब्दी/जनशताब्दी/दुरंतो रेल गाड़ियों की सभी श्रेणियों के किराए में छूट प्रदान की जाती है। पुरूषों को 40% और महिलाओं को 50% छूट दी जाती है, (ii) वरिष्ठ नागरिकों को लोअर बर्थ आवंटित करने का भी प्रावधान है, (iii) स्टेशनों पर व्हील चेयर का प्रावधान करने के निदेश भी दिए गए है, (iV) जोनल रेलवे को रेलवे स्टेशनों पर "दिव्यांगजनों और वृद्ध-यात्रियों के लिए बैट्री चालित वाहनों" को निःशुल्क प्रदान करने की भी सलाह दी गई है, (V) वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केंद्रों में अलग काउंटर बनाए गए है।

च. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, शहरी विकास विभाग ने मॉडल भवन उप-नियम 2016 जारी किए है जिनमें भवनों, शौचालयों आदि के संदर्भ में वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल अवरोधक मुक्त वातावरण सृजित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित किए गए है। शहरी विकास विभाग द्वारा वित्त-पोषित लो-फ्लोर बसों की खरीद करने पर जोर दिया गया है ताकि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुचाया जा सके। देश में कार्यान्वित/कार्यान्वयनाधीन सभी मैट्रों रेल परियोजनाओं में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के अनुकूल अवसंरचना जैसे स्टेशनों पर उपयुक्त रेंप/लिफ्ट, यात्रियों के लिए सुगमता से उतरने व चढने की व्यवस्था की गई है। दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए मैट्रों रेल के डिब्बों में सीटों का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवास की मांग को पूरी करने के लिए सभी (शहरी) के लिए आवास मिशन/प्रधान मंत्री आवास योजना परिचालित की गई है जिसमें यह शामिल किया गया है कि 'आवासों का आवंटन करते समय जिन परिवारों में वरिष्ठ नागरिक है, उन्हें भूतल या निम्नतल आवंटित करने' के लिए प्राथमिकता दें।

छ. नागर विमानन मंत्रालय

एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतम इकॉनमी क्लास बेसिक किराए में 50% की छूट देता है। यह छूट उन वरिष्ठ नागरिकों को दी जाती है जिन्होंने यात्रा प्रारंभ करने की तारीख को 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है। नागर विमानन मंत्रालय ने सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए निदेश जारी किए है कि वे टर्मिनल भवन में बोर्डिंग गेट तक जाने के लिए सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वःचालित बुगियों की व्यवस्था करें।

ज. संचार मंत्रालय

जहां तक संचार मंत्रालय के अंतर्गत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) का संबंध है, एमटीएनएल वरिष्ठ नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के प्लॉन-250 के अंतर्गत लेंड-लाइन कनेक्शन के लिए इंस्टॉलेशन/एक्टीवेशन चार्ज और मासिक सेवाओं/किराया चार्ज में 25% की छूट प्रदान करता है।

छ. महिला और बाल विकास मंत्रालयः

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने वृंदावन में 1000 विधवा महिलाओं की क्षमता वाले एक विधवा आश्रम का निर्माण किया है ताकि उन्हें सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्शी सेवाएं प्रदान की जा सके। इस विधवा आश्रम का डिजाइन वृद्धावस्था के अनुकूल तैयार किया गया है।

अनुबंध-I

आईपीएसआरसी के अंतर्गत सहायता प्रदत्त वरिष्ठ नागरिक गृहों/वृद्धाश्रमों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वरिष्ठ नागरिक गृहों की संख्या
	शेष देश (आर.ओ.सी)	
1.	आंध्र प्रदेश	76
2.	बिहार	2
3.	छत्तीगढ़	7
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	11
6.	हरियाणा	17
7.	हिमाचल प्रदेश	5
8.	झारखंड	3
9.	कर्नाटक	41
10.	केरल	5
11.	मध्य प्रदेश	20
12.	महाराष्ट्र	46
13.	ओडिशा	95
14.	पंजाब	4
15.	राजस्थान	18
16.	तमिलनाडु	73
17.	तेलंगाना	21
18.	उत्तर प्रदेश	37
19.	उत्तराखंड	3
20.	पश्चिम बंगाल	30
	कुल आर.ओ.सी	**516**
	संघ राज्य क्षेत्र	
21.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
22.	चंडीगढ़	0
23.	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	0
24.	लक्षद्वीप	0
25.	दिल्ली	4
26.	पुडुचेरी	1
27.	जम्मू और कश्मीर	0
28.	लदाख	0
	कुल - यूटी	**5**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर)	
29.	अरूणाचल प्रदेश	3
30.	असम	45
31.	मणिपुर	33
32.	मेघालय	2
33.	मिजोरम	2
34.	नागालैंड	4
35.	सिक्किम	0
36.	त्रिपुरा	3
	कुल – पूर्वोत्तर क्षेत्र	**92**
	सकल जोड़	**613**

*****